


कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर।
क्रमांक:—व.15(1)जनरल—आरपीए / 2017 / 4574-83 दिनांक:— 22 अप्रैल, 2017

स्थायी आदेश सं0 01 / 2017


राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के समस्त अधिकारियों/शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने – अपने कार्यालय/शाखाओं में आने वाली एवं जाने वाली फाइलों का मूवमेन्ट रजिस्टर संलग्न प्रारूप में संधारित करेंगे। प्रत्येक फाइल का मूवमेन्ट रजिस्टर में इन्द्राज करने के पश्चात् ही मूवमेन्ट करेंगे तथा प्राप्तकर्ता या उसके सहायक से मूवमेन्ट रजिस्टर में मय दिनांक प्राप्ति हस्ताक्षर करेंगे।

ये आदेश दिनांक 01 मई, 2017 से प्रभावी होंगे।


(राजीव दासोत)
निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को मय प्रारूप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए, जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक, आरपीए, जयपुर।
3. समस्त उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर।
4. प्रभारी चिकित्साधिकारी, डिस्पेंसरी, आरपीए, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आरपीए, जयपुर।
6. संचित निरीक्षक (प्रशासन) आरपीए, जयपुर।
7. कार्यालय अधीक्षक, आरपीए, जयपुर।
8. समस्त शाखा प्रभारी मय लाईब्रेरी/एम0टी0 आरपीए, जयपुर।
9. प्रभारी स्टेशनरी स्टोर, आर0 पी0 ए0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न नये प्रारूप में मूवमेन्ट रजिस्टर मुद्रित करवाकर संस्था के समस्त अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों को दिनांक 01.05.2017 से पूर्व उपलब्ध करायेंगे।


निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।